

(2024)7 एस.सी.आर. 8 : 2024 आई.एन.एस.सी. 481

शिव प्रताप सिंह राणा

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपीलक क्रमांक 1552 / 2023)

08 जुलाई 2024

(अभय एस. ओका और उज्जल भुयान, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय प्रश्न

अभियोक्त्री ने दिनांक 06.09.2008 को अपीलार्थी के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 376(2)(एन) और धारा 506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अपीलार्थी के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 376(2)(एन) और धारा 506 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए और अपीलार्थी द्वारा दाखिल उन्मोचन के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

संक्षिप्त भूमिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 376(2)(एन) और धारा 506—अभियोजन का प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने शादी का झूठा झांसा देकर और उसकी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर अभियोक्त्री के साथ बालात्कार किया था—विचारण न्यायालय ने भा.द.स. की धारा 376(2)(एन) और धारा 506 के अंतर्गत आरोप विरचित किए—उक्त आदेश के विरुद्ध दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया—यथार्थता:

अभिनिर्धारित : अभियोक्त्री के दो कथनों के अवलोकन और तुलना से, एक पुलिस के समक्ष धारा 161 द.प्र.स. के अंतर्गत और दूसरा धारा 164 द.प्र.स. के अंतर्गत, वह भी 24 घण्टे के भीतर अभिलिखित किया गया, ध्यान देने योग्य बात यह है कि न केवल कथन अपने आप में विरोधाभासी है बल्कि वे एक-दूसरे के भी विरोधाभासी हैं—तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने कथित घटना के दो साल बाद यह प्राथमिकी दर्ज की थी जो अपने आप में रिश्ते की सहमति की प्रकृति का संकेत देता है जिसमें खटास आ गया था—पक्षकारों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच शादी को लेकर भी बातचीत हुई थी लेकिन वह फलीभूत नहीं हुई जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई—अभियोक्त्री द्वारा झरने के नीचे स्नान करने और उसके बाद अपीलार्थी की संगति में अपने कपड़े बदलने के कृत्य से अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री पर किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है—अपीलार्थी का मोबाइल फोन या कथित रूप से अपीलार्थी द्वारा ली गई तस्वीरें बरामद या जब्त नहीं की गई—अभियोक्त्री द्वारा अपीलार्थी को कथित रूप से दिए गए आभूषण जप्त नहीं किए गए—एक स्टाम्प पेपर दिनांकित 07.07.2017 जिसमें अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की वह भी जप्त नहीं किया गया है—ऐसी सामग्रियों के अभाव में, अभियोजन

पक्ष के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्कार और धमकी के आरोपों को साबित करना असंभव है—अपीलार्थी को इन सामग्रियों के आधार पर आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए मजबूर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। (पद 16, 17, 18, 24)

भारतीय दण्ड संहिता 1860—धारा 90 भय या मिथ्या धारणा के अंतर्गत दी जाने वाली सहमति—तथ्य की मिथ्या धारणा—चर्चा की गई।

उद्धृत न्याय दृष्टांत

डॉ. ध्रुवराम मुर्लीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) 13 एस.सी.आर. 920 : (2019) 18 एस.सी.सी. 191; प्रमोद सुर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 11 एस.सी.आर. 423 : 9 एस.सी.सी. 608—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दण्ड संहिता 1860; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973।

कुंजीशब्द की सूची

बलात्कार; भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376(2)(एन); भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 90; शादी का झूठा झांसा देकर बलात्कार करना; कथनों में विरोधाभास; प्राथमिकी दर्ज करने में देरी; सहमति से बने रिश्ते में खटास आना; धमकी; उत्पीड़न; भय या मिथ्या धारणा के अंतर्गत सहमति दिया जाना; तथ्य की मिथ्या धारणा।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील क्रमांक 1552/2023

म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के निर्णय और आदेश दिनांक 03.10.2019 से आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 2288/2019 में।

पक्षकारों की उपस्थिति

अभिनव रामकृष्ण, अमित लाहोटी, सुश्री अंजली चौहान, सुश्री समीना ठाकुर, अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से।

हरमीत रूपराह, डी.ए.जी., यशराज सिंह बुंदेला, सुरजीत सिंह, श्रीमती प्रतिमा सिंह, चाणक्य बरुवा, अभिजीत सिंह, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, अनिरुद्ध सिंह, ऐश्वर्या मिश्रा, धनन्जय शेखावत, दशरथ सिंह, सुश्री अंजली सक्सेना, जीपी कैप्टन करण सिंह भाटी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगणों की ओर से।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

उज्जल भुयान न्यायमूर्ति

1. यह आपराधिक अपील विशेष अनुमति के द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर (एतत् पश्चात् उच्च न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 03.10.2019 के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 2288/2019 को खारिज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (एतत् पश्चात् सत्र न्यायाधीश) सत्र प्रकरण क्रमांक 505/2018 में पारित आदेश दिनांकित 24.04.2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 376(2)(एन) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए थे और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन के लिए आवेदन निरस्त कर दिया गया।

2. अभियोजन का प्रकरण है कि अभियोक्त्री ने 06.09.2018 कोयह आरोप लगाते हुए कि वर्ष 2016 में अभियुक्त (यहाँ पर अपीलार्थी) उसके चित्रों को दिखाया करता था और उसके साथ उसे ग्वालियर आने के लिए कहता था अन्यथा उसके चित्रों को व्हाट्सअप पर डाल देगा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया था। भय के वजह से वह अपीलार्थी के साथ डबरा से रेलगाड़ी द्वारा ग्वालियर आई। अनुपम नगर से एक लड़का उसे रेलवे स्टेशन पर लेने आया। उसकी मोटरसाईकल पर अभियोक्त्री और अपीलार्थी अनुपम नगर सिटी सेंटर गए जहाँ अपीलार्थी किराए के मकान में रह रहा था। वहाँ अपीलार्थी ने बलपूर्वक उसके साथ गलत कार्य कारित किया। इसके उपरांत अपीलार्थी ने बलपूर्वक एक शपथपत्र पर अभियोक्त्री के हस्ताक्षर लिए। शपथपत्र में यह उल्लेखित किया गया कि अभियोक्त्री सम्पूर्ण जीवन अपीलार्थी के साथ रहेगी। इसके बाद वह अपीलार्थी के साथ डबरा आई और घर चली गई। अपीलार्थी उसे बार-बार संबंध बनाने के लिए कहता था। उसने उससे कहा कि वह उसके भाई की शादी हो जाने के बाद उससे शादी कर लेगा। लेकिन उसके भाई की शादी हो जाने के बाद जब अभियोक्त्री ने शादी का विषय छोड़ा तो अपीलार्थी ने उससे कहा कि उसके भाई को 15 लाख रुपये शादी में मिले थे, यदि उसका परिवार 15 लाख रुपये देगा तब ही वह उससे शादी करेगा अन्यथा नहीं। उसके अभिभावक शादी का प्रस्ताव लेकर अपीलार्थी के निवास पर गए लेकिन उसके परिवारजनों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्राथमिकी में यह अभिकथित किया गया कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ संबंध बनाते हुए कई बार उससे पैसे लिए जो कि कुल रुपये 90 हजार हैं इसके अलावा आभूषण भी लिए। जब अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को धमकी देना शुरू कर दिया तो उसने विश्वविद्यालय पुलिस थाना जिला ग्वालियर के समक्ष प्राथमिकी प्रस्तुत की।

3. भ.द.वि. की धारा 376 और 506 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 401/2018 के तौर पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

4. पुलिस ने अन्वेषण किया जिसके दौरान दिनांक 11.09.2018 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (द.प्र.स.) की धारा 161 के अंतर्गत अभियोक्त्री का कथन अभिलेखित किया गया। इसके अलावा द.

प्र.स. की धारा 164 के अंतर्गत दिनांक 12.09.2018 को अभियोक्त्री का कथन भी दर्ज किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर भ.द.वि. की धारा 376 और 506 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया।

5. अपीलार्थी ने द.प्र.स. की धारा 227 के अंतर्गत एक आवेदन उसके उन्मोचन को चाहते हुए सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.04.2019 के आदेश द्वारा सत्र न्यायाधीश ने यह मत लिया कि प्रथम दृष्टया अभियोग पत्र अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त (अपीलार्थी) को भ.द.वि. की धारा 376 और 506 के अंतर्गत अपराधों के लिए विचारण से उन्मोचित नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा द.प्र.स. की धारा 227 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया।

6. सत्र न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने द.प्र.स. की धारा 397 के अंतर्गत एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। उक्त याचिका आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 2288/2019 के रूप में पंजीबद्ध हुई। 03.10.2019 के निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय यह मत लिया कि सत्य को उजागर करने के लिए विचारण करने की जरूरत है और कि कोई मामला हस्तक्षेप करने के लिए नहीं बना। परिणामस्वरूप आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

7. उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) क्रमांक 11671/2019 प्रस्तुत की 07.01.2020 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने सूचना पत्र जारी किए और सत्र विचारण क्रमांक 555/2018 की अग्रिम कार्यवाहियों पर अंतरिम आदेश पारित कर स्थगित कर दीं जो कि सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन थीं। तत्पश्चात् 12.05.2023 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने अनुमति प्रदान की और आपराधिक अपील के विचाराधीन रहने के दौरान अंतरिम आदेश के निरंतरता के लिए निर्देशित किया जो कि आपराधिक अपील क्रमांक 1552/2023 के रूप में पंजीबद्ध हुई।

8. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच संबंध पूर्णतः सहमतिपूर्ण थे। इसलिए अपीलार्थी द्वारा या तो भ.द.वि. की धारा 376 के अंतर्गत या भ.द.वि. की धारा 506 के अंतर्गत कोई अपराध करने का प्रश्न नहीं है। प्राथमिकी को खाली पढ़ने से और अभियोग पत्र से दर्शित होगा कि इस विवरण में कोई आपराधिक तत्व शामिल नहीं है। अतः यह न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा कि यदि अपीलार्थी को लंबी-खिंची आपराधिक विचारण के आदेश से पीड़ित होना पड़ा और इस प्रक्रिया में बदनामी भुगतनी पड़ेगी जिसका अपूर्णीय प्रभाव होगा। प्रकरण के इस पक्ष को सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया। वह इसलिए सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कराना चाहता है और सत्र प्रकरण क्रमांक 505/2018 जो सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है की कार्यवाहियों को खारिज कराना चाहता है।

9. दूसरी तरफ प्रतिवादी क्रमांक 01 के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभियोक्त्री की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त (अपीलार्थी) के विरुद्ध भ.द.वि. की धारा 376 और 506 के अंतर्गत प्राथमिकी पंजीबद्ध की। पुलिस ने प्रकरण में अन्वेषण किया और सामग्री इकट्ठी की। चिकत्सीय

अभिलेख, द.प्र.सा. की धारा 164 के अंतर्गत अभियोक्त्री का कथन और अन्य पुष्टकृत सामग्री पर विचार करने के बाद एक प्रतिवेदन द.प्र.सा. की धारा 173 के अंतर्गत अभियुक्त पर उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तुत की।

9.1 विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश के पास अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। यह एक सामान्य कानून है कि आरोप विरचित करने के चरण में एक पूर्ण विचारण की जरूरत नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह आवश्यक है कि क्या प्रकरण विचारण के लिए उपयुक्त है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई। उच्च न्यायालय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए प्रकरण का विस्तृत परीक्षण करना था और अपीलार्थी के आवेदन में कोई गुणदोष नहीं पाया। अपीलार्थी ने शादी के झूठे वादे पर अभियोक्त्री पर बलात्कार कारित किया और उसके चित्रों को सार्वजनिक करने की धमकी दी। अतः यह एक उचित केस है जो भ.द.वि. की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार की परिभाषा की परिधि के अंतर्गत आता है। विवाह के झूठे वचन के आधार पर एक महिला को शारीरिक संबंध बनाने का प्रलोभन भ.द.वि. की धारा 375 के अर्थ में बलात्कार होगा। इस चरण पर द.प्र.स. की धारा 164 के अंतर्गत अभियोक्त्री का लेखबद्ध किए गए कथन और अन्य संपोषक सामग्री के द्वारा अभियोजन के प्रकरण को समर्थन मिलता है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहाँ विचारण को शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कम से कम एक विचारण योग्य प्रकरण बनाया जाता है जहाँ अपीलार्थी को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की प्रतिरक्षा की सारी संभावनाएं प्राप्त होती हैं। वह इसलिए निवेदन करता है कि उच्च न्यायालय के आलोच्य आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए कोई प्रकरण नहीं बनता है और अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. तथ्यात्मक परिदृश्य का वर्णन करने के बाद, प्रतिवादी क्रमांक 02 (अभियोक्त्री) के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के मित्रवत व्यवहार का लाभ इस परिदृश्य में उठाया कि अपीलार्थी उसके छोटे भाई का दोस्त है। उसकी असुरक्षा का लाभ उठाते हुए अपीलार्थी ने उसकी निजी चित्र लिए जब वह एक मंदिर परिसर के पास स्नान करने के बाद अपने कपड़े बदल रही थी जहाँ वह एक साथ गए थे। अपीलार्थी ने बाद में अभियोक्त्री को ऐसी तस्वीरें दिखाई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल किया। उसने उसे धमकी दी कि यदि उसने उसकी मांग को मना किया तो वह उसके निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा और उसके पिता को भी दिखा देगा। यह ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत कि अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के साथ ग्वालियर की यात्रा की जहाँ उसने अपने किराएदार परिसर में उससे ज़बरदस्ती की। वह दावा करता है कि अभियोक्त्री को अपीलार्थी के साथ संभोग करने के लिए विवश करता है इस भय के अंतर्गत कि वह उसकी तस्वीरें को प्रकट कर देगा। अनिवार्य रूप में ज़बरदस्ती द्वारा दूषित सहमति होगी, ऐसी सहमति कोई सहमति नहीं है। यह एक स्पष्ट प्रकरण है जो बलात्कार की परिभाषा के दायरे में आएगा।

10.1 अभियोक्त्री को संतुष्ट करने और शारीरिक और मानसिक रूप से उसका शोषण करने के लिए अपीलार्थी ने दिनांक 28.09.2016 को एक शपथ-पत्र यह कहते हुए दिया कि वह अभियोक्त्री

से प्रेम करता है और हर परिस्थिति में उसकी देखभाल करेगा। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार दोनों के बीच शारीरिक संबंध अभियोक्त्री की सहमति के आधार पर थे जो तथ्य के गलत धारणा शादी का झूठा वचन के आधार पर प्राप्त की थी। अपीलार्थी का आशय बिल्कुल स्पष्ट था उसने शारीरिक संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए शादी के बहाने अभियोक्त्री को धोखा दिया।

10.2 उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने दिनांक 07.07.2017 को एक स्टॉप पेपर प्राप्त किया था जिसमें उसने अभियोक्त्री से शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। प्रतिवादी क्रमांक 02 अर्थात् अभियोक्त्री के लिए विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह उसके कथित व्यवसाय निवेश के लिए वित्तीय सहयोग करने का दुर्भावनापूर्ण आशय था क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 02 ने अपीलार्थी को विभिन्न वस्तुएं लगभग रुपए 90 हजार की सुपुर्द की थीं।

10.3 यद्यपि प्रतिवादी क्रमांक 02 प्रतिवादी से निरंतर उनकी शादी को सम्पन्न करने का निवेदन करती रही लेकिन किसी न किसी बहाने से अपीलार्थी इसे टालता रहा। उसी समय वह उसका निरंतर शारीरिक शोषण करता रहा। शुरु में उसने अभियोक्त्री को आश्वासन दिया था कि वह उसके बड़े भाई की शादी के बाद उससे विवाह करेगा। लेकिन उसका दुर्भावनापूर्ण आशय तब स्पष्ट हो गया जब उसने यह कहते हुए रुपये 15 लाख की मांग की, कि ऐसी राशि उसके बड़े भाई की शादी में प्राप्त हुई थी।

10.4 अपनी दलीलों के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को पुष्ट करने के लिए भ.द.वि. की धारा 90 पर विश्वास किया कि अभियोक्त्री की सहमति तथ्य की गलत धारणा पर प्राप्त की गई थी।

11. न्यायालय के एक प्रश्न के उत्तर में राज्य के विद्वान अधिवक्ता अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक 01 ने सुझावों पर प्रस्तुत किया कि न तो तस्वीरें न ही अपीलार्थी का मोबाइल फोन जप्त किया गया है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि शपथपत्र दिनांकित 28.09.2016 और स्टॉप पेपर दिनांकित 07.07.2017 भी जप्त नहीं किए गए हैं। अभियोक्त्री द्वारा कथित आभूषण उसके द्वारा अपीलार्थी को दिए गए न ही बरामद किए गए या अपीलार्थी से जप्त किए गए।

12. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों को न्यायालय ने उचित विचार किया है।

13. शुरुआत में ही अभियोक्त्री द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए कथनों को जाँच करते हैं। द.प्र.स. की धारा 161 के अंतर्गत उसके कथन में अभियोक्त्री ने कहा कि अपीलार्थी न केवल उसके छोटे भाई मुकुल राणा का दोस्त था बल्कि उसके बहनोई शैलेन्द्र राणा का दूर का भाई भी था। अपीलार्थी डबरा में प्रतियोगी परीक्षाओं का कोचिंग सेंटर चलाया करता था, जिसमें अभियोक्त्री अपने भाई मुकुल के साथ वर्ष 2015 और 2016 के दौरान भाग लेती थी। अपीलार्थी की सिफारिश पर अभियोक्त्री को एक कम्पनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली। वर्ष 2016 में अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के प्रति अपने स्नेह का खुलासा किया जिसे उसने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह न केवल उससे छोटा था बल्कि उसके छोटे भाई मुकुल का दोस्त भी था। यद्यपि वे दोस्त बन गए। उसने कहा कि उस वर्ष के सावन माह में एक सोमवार को अपीलार्थी उसे बिजौरा से आगे टिटोरे

गाँव के बाहर जंगल में ले गया जहाँ दूधखो शंकरजी का एक मंदिर था। वहाँ उसने झरने में स्नान किया। बाद में अपीलार्थी ने उसे तस्वीरें दिखाई जो उसने मंदिर में उसके कपड़े बदलते समय ली थीं। यद्यपि अभियोक्त्री ने तस्वीरों को समाप्त करने के लिए अपीलार्थी को कहा तो उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद वह उसे उसकी तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से अभियोक्त्री ने कहा कि उसने कोचिंग सेंटर और नौकरी छोड़ दी थी। इसके बावजूद अपीलार्थी यह कहते हुए निरंतर उसे धमकी देता रहा कि तस्वीरों को लोकप्रिय कर देगा और उन्हें उसके पिताजी को दिखा देगा। इस तरह की धमकी के कारण वह अपीलार्थी के साथ रेल से डबरा से ग्वालियर गई। ग्वालियर पहुँचने पर वह उसे अनुपम नगर में एक जगह ले गया जहाँ उसने बलपूर्वक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह जगह नितिन नगरिया अपीलार्थी के एक मित्र द्वारा किराए पर ली थी। दिनांक 28.09.2016 को अपीलार्थी ने एक स्टाम्प पेपर प्राप्त किया जहाँ उसने अपने साथ ही साथ अभियोक्त्री के दस्तखत लिए। स्टाम्प पेपर में यह वर्णित था कि वह उसे उसकी ता-ज़िदगी सहयोग करेगा। अभियोक्त्री के अनुसार, उसने कई बार अपीलार्थी को उससे शादी के लिए कहा परंतु किसी न किसी बहाने से वह प्रस्ताव से भागता रहा। बाद में उसने कहा कि वह उससे उसके भाई जयदीप की शादी के बाद शादी करेगा। अभियोक्त्री ने कहा कि उसने अपीलार्थी को बैंक से अंतरण करने के बाद कई मौकों पर अपीलार्थी को पैसे दिए। दिनांक 16.06.2017 को अभियोक्त्री ने उसकी माँ का रुपये 10 हजार का एक चैक अपीलार्थी को दिया। अपीलार्थी ने भी कहा कि उसने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया था और वह खुदका व्यापार करना चाहता था और तब उसके परिवारजन शादी के लिए तैयार होंगे। दिनांक 07.07.2018 को अपीलांत ने उसके नाम का एक ई-स्टाम्प अभियोक्त्री को दिया था जिसमें यह उल्लेखित था कि वह उससे शादी करेगा और उसके आश्वासन पर दिनांक 22.11.2017 को अभियोक्त्री उसकी बहन के मंगलसूत्र का लटकन ले आई और इसे अपीलार्थी को दे दिया। वह अपीलार्थी के साथ बैंक गई जहाँ उसने मंगलसूत्र के लटकन को गिरवी रख दिया और 8 हजार रुपये का ऋण लिया। उसने आगे भी रुपये 5 हजार का ऋण लेने में उसकी सहायता की। बाद में जब उसने शादी के विषय में बात की चूंकि उसके भाई की शादी दिनांक 18.04.2018 को हो गई थी अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को कहा कि उसके भाई को शादी में रुपये 15 लाख मिले थे, इसलिए, यदि वह रुपये 15 लाख देती है तो वह उससे शादी करेगा। हालांकि जब उसके परिवारजनों ने अपीलार्थी के परिवारजानों के साथ उसके घर पर बात की तो उन्होंने इंकार कर दिया। रिश्तेदारों की बैठक में अपीलार्थी को आभूषण और अभियोक्त्री के पैसे वापस करने के लिए आदेशित किया गया और उससे शादी करने के लिए भी उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया। इसके बाद उसने दिनांक 05.09.2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई।

14. आइये अब हम द.प्र.स. की धारा 164 के अंतर्गत अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 12.09.2018 को दिए गए कथन का परीक्षण करते हैं।

15. द.प्र.स. की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किए गए उसके कथन में, अभियोक्त्री ने कहा कि घटना वर्ष 2016 के सावन महीने की थी। यद्यपि दो साल बीत गए थे तो वह दिनांक याद नहीं रख सकती थी। वह अपीलांत के साथ कोचिंग क्लासेस जाया करती थी जो कि उसके जीजा का दूर का भाई था। कोचिंग क्लासेस अपीलार्थी के चचेरे भाई के घर में आयोजित हुआ करती थीं।

एक दिन अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से कहा कि कार्यालय में रिसेप्शनिस्ट का एक पद खाली था जिसमें वह कार्य कर सकती है। इसके बाद उसने उसके प्रति अपना लगाव जाहिर किया जिसको इस आधार पर उसने मना कर दिया कि अपीलार्थी उसके छोटे भाई का दोस्त था और उससे छोटा भी था। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में अपीलार्थी अभियोक्त्री को उसके गाँव के पास मंदिर में ले गया जहाँ उसने झरने के नीचे स्नान किया। अपीलार्थी ने उसकी तस्वीरें खींचीं जब अभियोक्त्री नहा रही थी। 5-6 दिनों के बाद जब वह कोचिंग क्लासेस गई तो अपीलार्थी ने उसे तस्वीरें दिखाई। उसने उसके साथ उसकी शादी करने की इच्छा भी प्रकट की लेकिन अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के ऐसे प्रस्ताव से इंकार कर दिया। उस समय अपीलार्थी ने उससे कहा कि यदि वह उसके प्रस्ताव से इंकार जारी रखती है तो वह तस्वीरों को उसके पिता के पास भेज देगा।

15.1 कुछ दिनों पश्चात्, अपीलार्थी उसे ग्वालियर के अनुपम नगर ले गया, जहाँ उसका मित्र नितिन किराए के मकान में रह रहा था। वहाँ अपीलार्थी ने स्वयं को अभियोक्त्री पर मजबूर किया और जब उसने इंकार किया तो उसने इसकी सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाए। उसके तस्वीरें समाप्त करने के निवेदन पर अपीलार्थी ने उससे कहा कि वह ऐसा कर देगा यदि वह उससे शादी करने को तैयार हो जाए। इसके बाद उसने अभियोक्त्री को डबरा छोड़ा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा। दिनांक 28.09.2016 को अपीलार्थी ने यह कहते हुए अभियोक्त्री को स्टाम्प पेपर दिया कि वह उसके जीवनपर्यंत तक उसके सहयोग करेगा। दिनांक 16.06.2017 को अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से पैसा की माँग की जिससे तारतम्य में उसने उसकी माँ का रुपये 10 हजार की राशि का एक चैक उसे दिया। दोबारा 07.07.2017 को अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को शादी के लिए उसकी सहमति मांगते हुए एक स्टाम्प पेपर दिया। दोबारा जब उसने अधिक पैसे की माँग की तो अभियोक्त्री ने उसकी माँ और बहन के आभूषण उसे दे दिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अपीलार्थी ने गहनें एक बैंक में गिरवी रख दिए जिसके बदले उसने कुछ पैसे निकाले। इसके बाद उसने कहा कि जब उसने अपीलार्थी की माँगों को पूरा करने के लिए बैंक से पैसे निकाले तो उसके परिवारजानों को रिश्ते के बारे में ज्ञात हुआ।

15.2 अपीलार्थी ने अप्रैल 2018 में बड़े भाई की शादी से पहले उससे कहा था कि उसके परिवारजन उसके भाई की शादी खत्म होने तक उसके घर नहीं आने चाहिए। शादी खत्म होने के बाद, उसने उससे कहा कि उसके भाई की शादी में रुपये 15 लाख मिले थे और उससे पूछा कि क्या उसके परिवारजन इतनी राशि देने की स्थिति में होंगे। उसके भाई की शादी के बाद अभियोक्त्री के परिवारजन अपीलार्थी के घर 2018 के जून माह में गए लेकिन पाया कि शादी के प्रश्न पर उसके परिवारजन टाल-मटोल कर रहे थे। यद्यपि समाज के लोगों ने अपीलार्थी और उसके परिवारजनों को आभूषण वापस करने और अभियोक्त्री के साथ शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद अपीलार्थी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और डबरा से गायब हो गया। अपीलार्थी के भाई ने अभियोक्त्री से कहा कि यदि वह पुलिस के सामने शिकायत करती है तो उसको मार देंगे और उसके भाई को झूठे प्रकरण में फँसा देंगे। ऐसा होने के बाद उसने दिनांक 05.09.2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई।

16. अभियोक्त्री के दो कथनों के अवलोकन और तुलना से एक द.प्र.स. की धारा 161 के पुलिस से समक्ष और दूसरा द.प्र.स. की धारा 164 के अंतर्गत जो कि 24 घण्टे के अवधि के अंदर दर्ज किया गया, ध्यान देने योग्य बात यह है कि न केवल कथन अपने आप में विरोधाभासी हैं बल्कि वे एक दूसरे से भी विरोधाभासी हैं। यह तथ्य कि अपीलार्थी ने कथित घटना के दो साल बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी जो अपने आप में सहमतिपूर्ण रिश्तों का घोटका है जो बिगड़ गए थे। यह अकल्पनीय है कि अभियोक्त्री कथित घटना के समय 22 वर्ष की थी, अपीलार्थी के साथ मंदिरी गई यदि उसे अपीलार्थी द्वारा धमकी दी जा रही थी। वह व्यस्क थी और इसलिए उसके खुद के कार्यों के परिणामों के बारे में पूरी तरह से सचेत थी। अभियोक्त्री का यह प्रकरण नहीं है कि अपीलार्थी ने उसे झरने के नीचे नहाने के लिए विवश किया और उसके बाद उसकी तस्वीरें लीं। अभियोक्त्री का झरने की नीचे स्नान करने का कृत्य और उसके बाद अपीलार्थी के साथ उसके कपड़े बदलने का कार्य अपीलार्थी द्वारा किसी धमकी या ज़बरदस्ती को वास्तवतः खारिज करता है।

17. सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता से एक स्पष्ट प्रश्न किया था कि क्या अपीलार्थी का मोबाइल फोन या अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री की कथित तस्वीरें लेना जबकि वह नहा रही थी और कपड़े बदल रही थी को बरामद किया जिसका उत्तर सुझावों पर यह था कि वह न तो बरामद किए गए न ही जब्त किए गए। इसके आगे 28.09.2016 के स्टाम्प के साथ-साथ 16.06.2017 का चैक जब्त नहीं किए गए हैं। अभियोक्त्री द्वारा अपीलार्थी को दिए गए कथित आभूषण भी जब्त नहीं किए गए हैं। दिनांक 07.07.2017 का स्टाम्प पेपर जब्त नहीं किया गया है। ऐसी सामग्री के आभाव में अभियोजन के लिए अपीलार्थी के खिलाफ बलात्कार और धमकी के आरोपों को साबित करना लगभग असंभव होगा।

18. हमने भ.द.वि. की धारा 375 के अंतर्गत दी गई बलात्कार की परिभाषा को ध्यान से देखा है। हमने भ.द.वि. की धारा 376(2)(एन) के प्रावधानों को भी देखा है जो एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के अपराध से संबंधित हैं। भ.द.वि. की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है कि एक पुरुष द्वारा की सात विवरणों के तहत उल्लेखित खण्ड ए से बी में वर्णित कोई भी कृत्य करता है। दूसरे विवरण के अनुसार एक व्यक्ति बलात्कार करता है यदि वह महिला की बिना सहमति के खण्ड ए से बी में उल्लेखित कोई भी कृत्य करता है। स्पष्टीकरण दो में सहमति को एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। जब महिला शब्दों, इशारों या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर मौखिक संचार द्वारा विशिष्ट यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा जाहिर करती है। यद्यपि इसके लिए प्रावधान स्पष्ट करता है कि एक महिला जो प्रवेशन के कार्य के लिए शारीरिक रूप से विरोध नहीं करती है तो इस तथ्य मात्र से उसे यौन गतिविधियों के लिए सहमति नहीं माना जाएगा।

19. उपरोक्त और मामले के समक्ष परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा मत है कि अभियोक्त्री और अपीलार्थी के मध्य शारीरिक संबंध को उसकी इच्छा के खिलाफ और उसकी सहमति के बिना नहीं कहा जा सकता है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर, बलात्कार और आपराधिक धमकी का कोई मामला नहीं बनता है।

20. प्रतिवादीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता ने भ.द.वि. की धारा 90 के प्रावधानों पर काफी भरोसा रखा है, विशेषकर तथ्य की गलती के धारणा के तहत अभिव्यक्ति पर। भ.द.वि. की धारा 90 इस तरह पढ़ी जाए :-

“90 भय या गलत धारणा के अंतर्गत दी जाने वाली सहमति –

सहमति ऐसी सहमति नहीं है जो इस संहिता की किसी धारा द्वारा अभिप्रेत है, यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा क्षति के डर से या तथ्य की गलत अवधारणा के अंतर्गत दी गई है और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है या विश्वास करने का कारण है कि सहमति ऐसे भय या गलत धारणा के परिणामस्वरूप दी गई थी; या

पागल व्यक्ति की सहमति – यदि सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो विकृतचित्त या नशे में, प्रकृति और उसके परिणाम को समझने में असमर्थ है कि जिससे वह अपनी सहमति देता है; या बालक की सहमति। – जब तक कि संदर्भ से इसके विपरीत दिखाई न दे यदि सहमति ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है।”

21. भ.द.वि. की धारा 90 कहती है कि सहमति ऐसी सहमति नहीं है जो भ.द.वि. की किसी धारा द्वारा अभिप्रेत है, यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा क्षति के डर से या तथ्य की गलत धारणा के अंतर्गत दी गई है।

22. डॉक्टर द्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्रा राज्य (2019) 18 एस.सी.सी.191 में इस न्यायालय ने भ.द.वि. की धारा 90 का परीक्षण करने के बाद इस प्रकार अभिनिर्धारण किया कि;

“इसलिए धारा 90 यद्यपि “सहमति” को परिभाषित नहीं करती है लेकिन वर्णन करती है कि क्या “सहमति” नहीं है। सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित, मजबूत या गुमराह, स्वेच्छा द्वारा या छल के माध्यम द्वारा प्राप्त की गई। यदि फरियादी द्वारा सहमति तथ्य की गलत अवधारणा के अंतर्गत दी जाती है तो इसे दूषित कर दिया जाता है। धारा 375 के उद्देश्यों के लिए सहमति स्वेच्छिक भागीदारी की आवश्यकता होती है न केवल अधिनियम के महत्व और नैतिक गुणवत्ता के आधार पर बुद्धिमत्ता के प्रयोग के बाद बल्कि प्रतिरोध और सहमति के बीच चयन का पूरी तरह से प्रयोग करने के बाद भी कोई सहमति थी या नहीं इसका पता केवल सभी प्रासंगिक परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके ही लगाया जा सकता है।”

23. इस न्यायालय ने सहमति के संदर्भ में भ.द.वि. की धारा 375 और भ.द.वि. की धारा 90 के बीच परस्पर क्रिया की भी जाँच प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 एस.सी.सी.608 और अभिनिर्धारित किया कि भ.द.वि. की धारा के संबंध में सहमति में परिस्थितियों को सक्रिस समझदारी, कार्यों और प्रस्तावित कृत्य के परिणाम समाहित होते हैं। एक व्यक्ति जो विभिन्न वैकल्पिक कार्यों (या निष्क्रियता) के साथ-साथ ऐसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले विभिन्न संभव परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद कार्य करने के लिए एक तर्क संगत विकल्प ढूंढता है, ऐसी कार्यवाही के लिए सहमति देता है। विभिन्न कानूनी मामलों पर विचार विमर्श करने के बाद, इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया;

“उपरोक्त मामलों से उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, भ.द.वि. की धारा 375 के संबंध में एक महिला की सहमति प्रस्तावित कृत्य के लिए सक्रिय और तर्कपूर्ण विचार विमर्श शामिल होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए कि क्या सहमति शादी के वचन से उत्पन्न होने वाले “तथ्य की गलत अवधारणा” से दूषित थी दो प्रस्ताव स्थापित किए जाने चाहिए। शादी का वचन गलत वचन होना चाहिए जो बुरे विश्वास में दिया गया था और जिस समय इसका पालन किया गया था तब उस समय इसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था। झूठा वचन अपने आप में तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए और यौन क्रिया में संलग्न होने के महिला के निर्णय के लिए एक सीधा संबंध होना चाहिए।”

24. प्रतिवादीगणों के लिए विद्वान अधिवक्ता ने “तथ्य की गलत धारणा” की अभिव्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा किया था। यद्यपि हमारे अनुसार, यहाँ तथ्य की कोई गलत धारणा नहीं है। शुरू से ही, अभियोजन का मामला यह है कि जब अपीलार्थी अभियोक्त्री के साथ संबंध रखने पर जोर दे रहा था तो बाद वाले आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया था कि अपीलार्थी उसके छोटे भाई का मित्र था और उसके जीजाजी के दूर का रिश्तेदार था। इसके अलावा, अभियोक्त्री के अनुसार अपीलार्थी उससे छोटा था। इसके होने के बाद भी अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ एक मंदिर गई थी जहाँ उसने स्वेच्छा से एक झरने के नीचे स्नान किया था। उसका आरोप है कि अपीलार्थी ने गुप्त रूप से उसकी तस्वीरें खींची जब वह नहा रही थी और बाद में कपड़े बदल रही थी और उसे ऐसे तस्वीरों से ब्लैकमेल किया जा रहा था ऐसे तस्वीरों की जब्ती के आभाव में या मोबाइल फोन के जब्ती के आभाव में जिसपर ऐसी तस्वीरें अपीलार्थी द्वारा ली गई थीं। यदि, वास्तव में, वह अपीलार्थी से किसी प्रकार की धमकी के अंदर थी तो यह किसी भी तर्क की अवहेलना करता है जब अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ डबरा से ग्वालियर रेल द्वारा एक यात्रा जिसे इन्होंने एक साथ किया था। ग्वालियर पहुँचने पर वह अपीलार्थी के साथ स्कूटर पर अनुपम नगर में किराए के घर पर गई जहाँ वह आरोपित करती है कि अपीलार्थी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। लेकिन उसने कोई अलार्म या शोर-शराबा किसी भी समय नहीं किया। बल्कि वह अपीलार्थी के साथ डबरा वापस आ गई। रिश्ता यहीं खत्म नहीं हुआ। यह इसके बाद भी जारी रहा। अभियोक्त्री का स्वयं का यह प्रकरण है कि एक समय दोनों के परिजन उनकी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए मुलाकात किए थे लेकिन उनकी शादी के बारे में कुछ भी अंतिम निष्कर्ष नहीं हो सका। इसके बाद ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि पुलिस द्वारा न तो शपथ पत्र न ही स्टाम्प पेपर्स बरामद और जप्त किए गए हैं इसी तरह आभूषण भी। अभियोक्त्री की माँ का कथित चैक अपीलार्थी को दिया गया या ऐसे पैसे के अंतरण दिखाते हुए बैंक स्टेटमेंट पुलिस द्वारा एकीकृत नहीं की गई हैं। ऐसी सामग्री के आभाव में अभियोजन के मामले का पूरा उप-स्तर ध्वस्त हो जाता है। अतः अपीलार्थी के दोषी ठहराए जाने की शायद ही कोई संभावना है। वास्तव में, यह एक ऐसा प्रकरण भी नहीं है जिसपर मुकदमा चलाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सहमति से बने संबंधों का प्रकरण है जिसमें खटास आ गई थी जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी। परिस्थितियों में, न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी को इन सामग्रियों पर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना और कुछ नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसका परिणाम यह होगा कि विचारण एक अंतहीन निष्कर्ष होगा।

25. प्रकरण के तथ्यात्मक परिदृश्य से निम्नलिखित प्रासंगिक विशेषताओं को निकाला जा सकता है;

(i) अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच संबंध सहमति की प्रकृति का था।

(ii) दोनों पक्षों के बीच लगभग दो साल तक संबंध रहे; और

(iii) यद्यपि शादी के संबंध में दोनों पक्षों और उनके परिवारजनों के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई जिससे प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

26. यह स्थिति होने के नाते और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि यह न्याय के हित में होगा यदि कार्यवाही इस स्तर पर ही समाप्त कर दी जाती है। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 03.10.2019 और सत्र न्यायाधीश का आदेश दिनांक 24.04.2019 एतद्वारा अपास्त और खारिज किए जाते हैं।

27. परिणामस्वरूप सत्र विचारण क्रमांक 505/2018 की कार्यवाहियाँ दसवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के समक्ष लंबित को एतद्वारा खारिज किया जाता है।

28. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है।

प्रकरण का परिणाम : अपील स्वीकार हुई।

*** रविन्द्र गरासिया द्वारा अनुवाद ***